राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः F.2(02)UDH/SIKAR/2019 जयपुर, दिनांक :

-: <u>अधिसूचना</u> :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सख्या 15) की धारा 90-क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.02.2020 को प्रत्याहरित करते हुए एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 06.02.2014 के अनुसार निम्नांकित सारणी के कॉलम 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारी को अन्य नगर सुधार न्यासों की भांति कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती हैः-

क्र.स.	स्थानीय निकाय का नाम	अधिकारी का पदनाम
1	2	3
1	नगर सुधार न्यास, सीकर	सचिव , नगर सुधार न्यास, सीकर

राज्यपाल की आज्ञा से,,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग / नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग ।
4. आयुक्त, नगर परिषद्, सीकर।
5. नगर विकास न्यास, सीकर।
6. सहायक निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को राजस्थान राजपत्र के असाधारण में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :23-04-2025 11:19:44

RajKaj Ref No.: 14845515